

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक - 4-1009 (NREGA)/2009/ग्रा0वि0(खण्ड-II) (N) 1250
प्रेषक

राँची, दिनांक 23-6-16

एन०एन० सिन्हा, भा0प्र0से0
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
झारखण्ड।

विषय:- वर्षा ऋतु में कार्यान्वित होने वाली मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति के सम्बंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक (N)672, दिनांक 6.4.2016

महाशय/महाशया,

महात्मा गाँधी नरेगा मजदूरों को जरूरत होने पर रोजगार उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। वर्षा ऋतु में भी मजदूरों (विशेष रूप से भूमिहीन मजदूरों) को काम की आवश्यकता होती है। अतः यह अतिआवश्यक है कि वर्षा ऋतु में भी प्रत्येक गाँव में मजदूरों की काम की मांग के अनुसार योजनाएं चलाई जाए। Seasonality calendar के अनुसार वर्षा ऋतु में निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत व कार्यान्वित की जाएँगी:

मौसम	अवधि	योजनाओं का प्रकार
Monsoon	जुलाई से सितम्बर	भूमि समतलीकरण व मेढबंदी, स्टैगर्ड ट्रेंच, 30X40 मॉडल, बकरी शेड, मुर्गी शेड, गाय के लिए पक्का फर्श व मूत्र टैंक, वृक्षारोपण (pit-digging के बाद की गतिविधियाँ) आदि

2. उक्त योजनाओं की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं:

- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को कार्यकारिणी समिति की बैठक कर योजना बनाओ अभियान में चयनित योजनाओं (shelf of works) से वर्षा ऋतु में कार्यान्वित होनी वाली योजनाओं की सूची बनाने के लिए शीघ्र अनुरोध किया जाए।
- अभियान में ग्रामीणों ने समतलीकरण व मेढबंदी के लिए 1.38 लाख योजनाएं एवं स्टैगर्ड ट्रेंच व 30X40 मॉडल के लिये 19,000 योजनाएं चयनित की गयी थी। इन सभी योजनाओं पर वर्षा ऋतु में काम किया जाए।
- अगर किसी गाँव में मजदूरों की काम के मांग को पूरा करने के लिए वर्षा ऋतु में चलने वाली योजनाएं (जैसे ज़मीन समतलीकरण व मेढबंदी, स्टैगर्ड ट्रेंच, 30X40 मॉडल आदि) shelf of work में न हो, तो उन गाँवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ऐसी योजनाओं का चयन सुनिश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित ग्राम सभा पंजी में ही दर्ज की जाए। विशेष ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं का अनुमोदन ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा अनिवार्य है।
- ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति योजनाओं को निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर चयनित करेगी:
 - > seasonality calendar
 - > ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक category में तय की गई प्राथमिकता
 - > प्रत्येक category में वंचित परिवारों की योजनाओं को प्राथमिकता देना

2/10

- यह विशेष ध्यान दिया जाएगा कि पशु शेड केवल SECC के अनुसार व ग्राम सभा द्वारा चिन्हित वंचित परिवारों के लिए ही स्वीकृत किए जाएंगे।
 - शेड की संख्या ग्राम पंचायत में अप्रैल-जून महीनों में कार्यान्वित योजनाओं के मजदूरी:सामग्री अनुपात के अनुसार तय की जाएगी। यह सुनिश्चित करना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 (मजदूरी:सामग्री) का अनुपात बना रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अप्रैल-जून तक हुए कार्य का आंकलन कर 60:40 (मजदूरी:सामग्री) के अनुपात के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को पशु शेड की संख्या सूचित करेंगे। अधिकतर ग्राम पंचायतों में इस वर्षा ऋतु में 3-5 की संख्या में बन पाएंगे। इसके अनुसार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति पशु शेड योजनाओं का चयन करेगी।
 - ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा चयनित योजनाओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी यथाशीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे।
 - ग्राम सभा द्वारा चयनित आंगनवाडी केन्द्रों का निर्माण भी प्रारंभ करवाया जाए।
 - सभी योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू होने से पूर्व अभिलेख संधारण राज्य द्वारा पूर्व में भेजे दिशा-निर्देश अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
 - सभी स्वीकृत योजनाओं की तुरंत NREGASoft में प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाए।
 - स्वीकृत योजनाओं का पंचायत भवन व अन्य सामुदायिक भवनों पर दीवाल लेखन किया जाएगा।
 - जो डोभे अभी तक भौतिक रूप से पूर्ण नहीं हुए हैं, उनको वर्षा ऋतु के dry spell में पूर्ण किया जाए।
 - NREGASoft के अनुसार अभी तक 5 प्रतिशत से भी कम डोभे पूर्ण हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्राम पंचायतों के सम्बंधित कनीय अभियंताओं को निर्देशित करें कि अगले 7 दिनों में भौतिक रूप से पूर्ण डोभों का स्थल निरीक्षण कर Measurement Book पूर्ण किया जाए।
 - प्रखंड विकास पदाधिकारी अगले 15 दिनों में भौतिक रूप से पूर्ण सभी डोभों को NREGASoft में पूर्ण (complete) करना सुनिश्चित करेंगे।
3. यह अत्यंत दुःख की बात है कि अप्रैल 2015 से पूर्व शुरू की गयी लगभग 73,101 योजनाएं अभी भी "on-going" हैं। 2015-16 में शुरू की गयी 99,981 योजनाएं अभी भी "on-going" हैं। इन योजनाओं को बंद करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:
- निम्नलिखित प्रकार की योजनाएं जो अप्रैल 2015 से पूर्व शुरू की गयी हो व वर्तमान में "on-going" हैं, उन्हें निरीक्षण कर 10 जुलाई तक बंद कराया जाए। जिला वार योजनाओं की संख्या की सारणी संलग्न है। बंद करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व में हुए काम की मजदूरी व सामग्री भुगतान बकाया न रहे।
 - तालाब/आहार/पोखर का जीर्णोधार/गहरीकरण
 - तालाब/आहार/पोखर का निर्माण
 - मिटटी बाँध/चेकडैम
 - मिटटी मुरुम सड़क/PCC सड़क/culvert
 - समतलीकरण व मेढ़बंदी
 - वृक्षारोपण
 - इन योजनाएं के अलावा अन्य on-going योजनाएं जैसे सिंचाई कुआँ, पशु शेड आदि को यथाशीघ्र पूर्ण करवाकर MIS में बंद करें।

Neko

- 2015-16 में शुरू किए गए योजनाएं जो भौतिक रूप से पूर्ण हैं लेकिन MIS में on-going हैं, उन्हें तुरंत बंद करें। बंद करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि पूर्व में हुए काम की मजदूरी व सामग्री भुगतान बकाया न रहे।
- 2015-16 में शुरू किए गए तालाब/पोखर/डोभा/आहार के निर्माण व जीर्णोद्धार की योजनाएं जो वर्तमान में on-going हैं, उन्हें निरीक्षण कर 10 जुलाई तक बंद करें। बंद करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि मजदूरी व सामग्री भुगतान बकाया न रहे।
- 2015-16 में शुरू किए गए कच्चे सड़क की योजनाएं जो वर्तमान में on-going हैं, उन्हें यथाशीघ्र पूर्ण कर के बंद करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक योजना का निरीक्षण कर भौतिक स्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे कि योजना को पूर्ण किया जाएगा अथवा तुरंत बंद किया जाएगा।
- बंद करने के लिए योजनाओं के अभिलेख में पूर्ण-स्थिति का photograph व Measurement Book संलग्न किया जाएगा एवं इसके पश्चात् NREGASoft में "complete" किया जाएगा।

4. राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने किए अन्य कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:

- अभी भी राज्य के 61% निबंधित मजदूरों का भुगतान पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होता है। जिला स्तरीय बैंकों के साथ बैठक कर इन सभी मजदूरों का बैंक खाता खोल कर/खुले हुए खाता का 31 जुलाई 2016 तक NREGASoft में प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाए।
- अभी भी अनेक मजदूरों के जॉब कार्ड (जिनका 5 वर्षों की अवधि पूर्ण हो गयी है) को renew नहीं किया गया है। पंचायत वार camp का आयोजन कर ऐसे सभी जॉब कार्ड को renew करवाया जाए।
- झारखण्ड में मनरेगा के काम में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय अनुपात से बहुत कम है। सभी मनरेगा कर्मी सुनिश्चित करें कि महिलाओं को प्रत्येक योजना में बड़े पैमाने पर काम मिलें। यह भी देखने को मिला है कि महिलाओं का नाम जॉबकार्ड में दर्ज नहीं होता है। ऐसी महिलाएं जो काम करने के लिए इच्छुक हों, उनका नाम तुरंत उनके परिवार के जॉब कार्ड में जोड़े। अगर एकल महिला हों, तो उन्हें नया जॉब कार्ड निर्गत किया जाए।
- ऐसे पुरुष मेट जो तीन वर्ष से अधिक समय से मेट के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें तुरंत हटा कर विभागीय पत्रांक (N)873 दिनांक 12.5.16 अनुसार नए मेटों का चयन किया जाएगा। चयन में प्राथमिकता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा।
- कई प्रखंडों व जिलों में जांच उपरांत यह पाया गया है कि बिना इ-मस्टर रोल निर्गत किए ही योजनाओं में मजदूरों द्वारा काम करवाया जा रहा है। यह भी देखने को मिला है कि अक्सर कार्यस्थल पर काम कर रहे सभी मजदूरों का नाम योजना के इ-मस्टर रोल में नहीं रहता है। यह मनरेगा कानून का उल्लंघन है। प्रखंड विकास पदाधिकारी व मनरेगा कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना इ-मस्टर रोल निर्गत किए योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाएगा।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी FTOs को प्रथम व द्वितीय हस्ताक्षरी द्वारा ससमय सत्यापन (digital signature के माध्यम से) किया जाएगा। अगर ससमय FTO सत्यापन करने के बावजूद भी किसी मजदूर का 15 दिनों में भुगतान नहीं होता है, तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तुरंत राज्य MIS नोडल ऑफिसर से संपर्क करेंगे।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से योजना-वार MIS की विभिन्न steps (जैसे मस्टर रोल ससमय entry होना, wagelist ससमय generate होना आदि) को ट्रैक करेंगे।

Nolo

- योजना में काम शुरू होने के पूर्व कार्यस्थल पर योजना की जानकारियों के साथ सूचना पट सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनें परिसंपत्तियों के पंजीकरण के लिए विभागीय पत्रांक (N)1200 दिनांक 21.6.16 के अनुसार Fixed Asset Register तैयार किया जाएगा।
- विभागीय पत्रांक (N)905 दिनांक 16.5.16 के अनुसार मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन व निगरानी में ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

5. वर्षा ऋतु में ज़िले के प्रत्येक गाँव-टोले में मज़दूरों की काम के मांग के अनुरूप योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इन निर्देशों से प्रखंड विकास पदाधिकारी को तुरंत अवगत कराएं। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पत्र की प्रति सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं एवं उपरोक्त मार्गदर्शिका पर उनके एवं मनरेगा कर्मियों का उन्मुखीकरण सुनिश्चित करें।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त मार्गदर्शिका अनुसार यथाशीघ्र योजनाओं की स्वीकृति सुनिश्चित कराएं व 30 जून तक प्रत्येक गाँव (PESA क्षेत्र में प्रत्येक टोले) में ग्रामीणों की काम की मांग के अनुसार पर्याप्त संख्या में योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ करवाने की कार्रवाई करें।

विश्वासभाजन;

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक 23-6-16

जापांक - 4-1009 (NREGA)/2009/ग्रा0वि0(खण्ड-II) 19/12/16
प्रतिलिपि- सभी उपायुक्त/प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।